सं.- 07/57/2024-हि.शि.यो.(मु.)/पार्ट-4 3010

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय/ MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक /Date- 01/10/2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय – केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के वर्तमान अधिदेश (मैंडेट) में नया कार्य जोड़ने के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 17.08.2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-11034/11/2025-राजभाषा(नीति) के अनुपालन में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के वर्तमान अधिदेश (मैंडेट) में एतदद्वारा निम्नलिखित नया कार्य जोड़ा जाता है :

'स्वायत्तशासी एवं स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं सहित राज्य सरकारों के कार्मिकों के लिए मांग के आधार पर हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।'

2. उक्त के संबंध में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निदेश दिया जाता है कि यदि किसी क्षेत्र में स्वायत्तशासी एवं स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं अथवा राज्य सरकारों के कार्मिकों हेतु हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में कोई मांग की जाती है तो उन्हें तत्काल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए।

(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि –

1. संयुक्त निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) एवं कार्यालयाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
2. सलाहकार (उप निदेशक), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
3. सलाहकार (उप निदेशक), कार्यशाला एकक, 2-ए पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली
4. सहायक निदेशक (भाषा) एवं कार्यालयाध्यक्ष (मध्योत्तर/परीक्षा/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/पूर्वोत्तर), नई दिल्ली/कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/गुवाहाटी
5. सहायक निदेशक (भाषा/मुख्यालय), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
6. सहायक निदेशक (हिं. टं./हिं.आशु.) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक (हिं. टं./हिं.आशु.), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे उक्त कार्य को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के वर्तमान अधिदेश (मैंडेट) में जुड़वाकर वेबसाइट पर अपलोड करवाएँ।

सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
7th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
ईमेल/Email- dirchti-dol@nic.in दूरभाष/Tele.:- 011-24361852, 24366794, 24368158.

क्रम सं॰-11 (आवती)

पी-7320

सं. 11034/11/2025-राजभाषा(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

*****

गृ.मं. राभा.वि. नई दिल्ली
2946
07/09/2026

चौथा तल, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 17 .08.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा विभाग के वर्तमान अधिदेश (मैंडेट) में नया कार्य जोड़ने के संबंध में।

राजभाषा संबंधी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में 26 जून, 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

2. उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत राजभाषा विभाग के वर्तमान अधिदेश (मैंडेट) में एतद्द्वारा निम्नलिखित नया कार्य जोड़ा जाता है :

'स्वायत्तशासी एवं स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं सहित राज्य सरकारों के कार्मिकों के लिए मांग के आधार पर हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।'

(डॉ. निधि पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23438130

प्रति:-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग के वर्तमान अधिदेश के अनुसार आवश्यक अपेक्षित कार्रवाई के लिए। [दिनांक 14.07.2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/51/2024-राभा(प्रशि) एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 08.07.2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12031/02/2023-केहिप्रसं-1312 के आलोक में]
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली

तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें
वेबसाइट पर भी अपडेट करें।

5. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
7. नीति आयोग, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
9. लेखा निदेशक (केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
12. संसद पुस्तकालय (15 प्रतियाँ)
13. निदेशक, जन-संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
15. सचिव, राजभाषा विभाग) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
16. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी), राजभाषा विभाग:- राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. निधि पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

2/2

No. 11034/11/2025-OL(Policy)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language
*****

4th Floor, NDCC-2 Bhawan,
Jai Singh Road, New Delhi-110001

Dated 17.08.2026

Office Memorandum

Subject: Inclusion of New Function in the existing Mandate of the Department of Official Language -reg.

With a view to ensuring compliance of the constitutional and legal provisions regarding official language and to promote the use of Hindi for the official purposes of the Union, the Department of Official Language was set up on 26 June, 1975 as an independent Department of the Ministry of Home Affairs. Since then, this Department has been making efforts for accelerating the progressive use of Hindi for the official purposes of the Union.

2. With the approval of the competent authority on the subject cited above, the following new function is hereby included in the existing mandate of the Department of Official Language under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961:

'To make arrangements for training in Hindi language, Hindi typing and Hindi shorthand for the employees of State Governments including autonomous and local Self-Government Institutions on demand basis'

(Dr. Nidhi Pandey)
Joint Secretary to the Government of India
Telephone: 011-23438130

To:-

1. Director, Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi, for necessary action regarding OM No. 21034/51/2024-OL(Training) dated 14.07.2026 and Central Hindi Training Institute OM No. 12031/02/2023-CHTI-1312 dated 08.07.2026]
2. Chief Secretaries of all State Governments and Administrators of Union Territories
3. Secretaries of all Ministries and Departments of the Government of India
4. President's Secretariat, New Delhi
5. PMO, New Delhi

1/2

6. Cabinet Secretariat, New Delhi

7. NITI Aayog, New Delhi

8. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi

9. Director of Accounts (Central Revenue), New Delhi

10. Lok Sabha Secretariat, New Delhi

11. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi

12. Parliament Library (15 copies)

13. Director, Public Relations (Ministry of Home Affairs), Press Information Bureau, New Delhi, with request to issue a Press Note in this regard.

14. All Officers/Sections of the Department of Official Language

15. Principal Staff Officer to the Secretary, Department of Official Language

16. Senior Technical Director (NIC), Department of Official Language: For uploading on the Department of Official Language website.

(Dr. Nidhi Pandey)
Joint Secretary to the Government of India

2/2